न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– बन्शीधर योगी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 31/2023 राजस्व वाद

श्रीमती गोखी देवी पत्नी श्री देवा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीया

बनाम

01. कोयली देवी पत्नी श्री भैरू लाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. गजरी पत्नी श्री सुवाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. जीवणदास पुत्र श्री बालूदास बैरागी आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. पारसी पुत्री श्री गिरधारीदास बैरागी आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. माधुदास पुत्र श्री बालूदास बैरागी आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. रामेश्वरदास पुत्र श्री गिरधारीदास बैरागी आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

——— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन,	–अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकपक्षीय–	प्रतिवादीगण
2. पेरोकार सरकार	–अधिवक्ता–प्रतिवादी

दिनांक– 29/07/2024

:: निर्णय ::

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद गोरधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा भू

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या 01 से 06 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

आदेश

सरहद गोरधनपुरा पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 194 मे आराजी नम्बर 145/1 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 149 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 150 रकबा 0.1265 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.5944 हैक्टयर भूमि मे वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(1) खातेदार का नाम– गोखी देवी पत्नी देवा गुर्जर सा. देह खातेदार (वादी) के नाम पर–

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	149/1	0.0086 हैक्टयर
2.	149/2	0.0091 हैक्टयर
3	150/1	0.0498 हैक्टयर
योग	किता 03	0.0675 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम– कोयली देवी पत्नी भैरू लाल हि. 1/23 जाति गुर्जर, गजरी पत्नी श्री सुवाराम हि. 5/23 जाति गुर्जर, जीवणदास पुत्र बालूदास हि. 13/46 जाति बैरागी , पारसी पुत्री गिरधारीदास 2/23 जाति बैरागी, माधुदास पुत्र श्री बालूदास हि. 13/46 जाति बैरागी , रामेश्वरदास पुत्र श्री गिरधारीदास 2/23 जाति बैरागी सा. देह खातेदार प्रतिवादीगण के नाम पर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	145 / 1	0.2529 हेक्टयर
2.	149 / 3	0.1973 हैक्टयर
3.	150 / 2	0.0767 हैक्टयर
योग	कुल किता 03	0.5269 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 29 / 07 / 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बंशीधर योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)